रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2009/माघ 14, 1930	[रा.रा.रा.क्षेत्र सं. 312
No. 19]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2009/MAGHA 14, 1930	[N.C.T.D. No. 312

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचनाएँ

दिल्ली, 3 फरवरी, 2009

सं. फा. 7(30)/07/भू. व भ./भू.अ./12214.—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (उत्तर-पश्चिम), दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या फा. 7(30)/07/भू. व भ./भू.अ./16012, दिनांक 13-2-2008 धारा 4 एवं संख्या फा. 7(30)/07/भू. व भ./भू.अ./12213 दिनांक 3-2-2009 धारा 6 में दिया हुआ है ।

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 3rd February, 2009

No. F. 7(30)/07/L & B/LA/12214.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Land Acquistion Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi to take possession of land the specification of which is given in the notification No. F. 7(30)/07/L & B/LA/16012, dated 13-2-2008 under Section 4 and No. F. 7(30)/07/L & B/LA/12213 dated 3-2-2009 under Section 6 of the said Act on expiry of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of Section 9 of the said Act.

सं. फा. 7(29)/07/भू. व भ./भू.अ./12188.—जबकि, दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अत:, इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना है ।

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन सर्व-संबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या फा. 7(29)/07/भू. व भ./भू.अ./15860, दिनांक 12-2-2008 के द्वारा की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (उत्तर-पश्चिम) को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (उत्तर-पश्चिम) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा-बिस्वांसी)	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा-बिस्वांसी)
कादीपुर	0-19-05	354/1	0-19-05

No. F. 7(29)/07/L & B/LA/12188.—Whereas, the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Sewage Pumping Station by Delhi Jal Board. It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, in respect of the land notified U/s 4 of L. A. Act, 1894 *vide* Notification No.F. 7(29)/07/L & B/LA/15860, dated 12-2-2008 to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7, of the said Act, the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa-Biswansi)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa-Biswansi)
Kadipur	0–19-05	354/1	0–19-05

सं. फा. 7(30)/07/भू. व भ./भू.अ./12213.—जबकि, दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अत:, इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना है ।

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या फा. 7(30)/07/भू. व भ./भू.अ./16012, दिनांक 13-2-2008 के द्वारा की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (उत्तर-पश्चिम) को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (उत्तर-पश्चिम) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा-बिस्वांसी)	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा-बिस्वांसी)
मुखमैलपुर	0-19-05	340/1	0-19-05

No. F. 7(30)/07/L & B/LA/12213.—Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Sewage Pumping Station by Delhi Jal Board. It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, in respect of the land notified U/s 4 of L. A. Act, 1894 *vide* Notification No. F. 7(30)/07/L & B/LA/16012, dated 13-2-2008 to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7, of the said Act, the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa-Biswansi)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa-Biswansi)
Mukhmail Pur	0–19-05	340/1	0–19-05

सं. एफ. 7(29)/07/भू. व भ./भू.अ./12189.—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर-पश्चिम), दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या एफ. 7(29)/07/भू. व भ./भू.अ./15860, दिनांक 12-2-2008 धारा 4 एवं संख्या एफ. 7(29)/07/भू. व भ./भू. अ./ 12188, दिनांक 3-2-2009 धारा 6 में दिया हुआ है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

घनश्याम मीणा, अतिरिक्त सचिव

No. F. 7(29)/07/L & B/LA/12189.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Land Acquistion Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi to take possession of land the specification of which is given in the notification No. F. 7(29)/07/L & B/LA/15860, dated 12-2-2008 under Section 4 and No. F. 7(29)/07/L & B/LA/12188, dated 3-2-2009 under Section 6 of the said Act on expiry of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of Section 9 of the said Act.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

G. S. MEENA, Addl. Secy.

योजना विभाग

(कैडर कन्ट्रोलिंग यूनिट)

अधिसूचना

दिल्ली, 3 फरवरी, 2009

सं. फा. 9(20)/डी.डी./आर.आर./2006/सीसी/योजना/1559.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24-9-68 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68-डी एच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल :—

(i) इस सरकार के अधीन योजना विभाग में उप-निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियम बनाते है, तथा;

(ii) इस सरकार की दिनांक 20-3-1997 की अधिसूचना सं. फा. 9(21)/94-सीसी/योजना/3462—69 द्वारा अधिसूचित एवं दिनांक 23-2-2000 की अधिसूचना संख्या फा. 9(21)/94-सीसी/योजना/15972—79 द्वारा अधिसूचित संशोधन योजना विभाग में

उप-निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं ।

अनुसूची

योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, में उप-निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राहय है	सीधी भर्ती किए वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप-निदेशक (योजना/ सांख्यिकी)	17* *(2008) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है । **कॉलम-1 के अधीन** 1. योजना 6 2. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय 2 3. अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण निदेशालय 1 4. परिवहन 1 5. स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय 1 6. चुनाव 1 7. शहरी विकास 1 8. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 1 9. शिक्षा निदेशालय 1 10. विकास 1 11. समाज कल्याण 1 17	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अपिलिपिकीय	10,000-325-15,200 रु.	चयन	नहीं	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप :** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/कार्यात्मक अनुसंधान/अंकगणित सांख्यिकी/प्रयोगिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या अंकगणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में सांख्यिकी एक विषय/पेपर डिग्री स्तर पर या समकक्ष, और (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सांख्यिकी/योजना कार्य, अन्वेषण/ अनुसंस्थान कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव **टीप 1:** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हाँ	सीधी भर्ती के लिये एक वर्ष

(8)
लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है । **टीप 2 :** यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है । **वांछनीय :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शैक्षिक योग्यता (i) में उल्लिखित किसी एक विषय में डॉक्टरेट डिग्री । (ii) सांख्यिक अर्थशास्त्र, योजना तथा सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में आधुनिक विकास की जानकारी ।

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
(11)	(12)
(i) 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**पदोन्नति :** 8000-13500 रु. के वेतनमान में तथा ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक निदेशक (योजना/सांखियकी) ।
(ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	**टीप :—** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है । **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अर्धसरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संस्थानों के अधिकारी :— (क) (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले ; अथवा (2) मूल संवर्ग/विभाग में 8000-13500 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित (3) मूल संवर्ग/विभाग में 6500-10500 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित (ख) कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे । इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे)

(12)

[प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) भी सम्मिलित है, सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा (आईएसटीसी) आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।]

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है ?		वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है ।
(13)		(14)
ग्रुप'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचारार्थ)		सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक हैं ।
1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	—अध्यक्ष	
2. प्रधान सचिव (योजना)/सचिव योजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—सदस्य	
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो	—सदस्य	
4. अनु. जा./अनु.जन. समुदाय से संबंधित कोई अधिकारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संयुक्त सचिव से कम रैंक का न हो ।	—सदस्य	
ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु)		
1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—अध्यक्ष	
2. प्रधान सचिव (योजना)/सचिव योजना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—सदस्य	
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो ।	—सदस्य	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल.एन. मीणा, संयुक्त निदेशक

PLANNING DEPARTMENT

(Cadre Controlling Unit)

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd February, 2009

No. F. 9(20)/D.D.-RR/CC/Plg/1559.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24/78/68-DH(S), dated 24-9-1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to :—

(i) make the rules in the Scheduled annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Deputy Director (Plg/Stat.) in the Planning Department under this Government and,

(ii) cancel the recruitment rules for the post of Deputy Director (Plg/Stat.) in the Planning Department of this Government notified *vide* Notification No. F. 9 (21)/94-CC/Plg/3462-69, dated 20-3-1997 and amendment notified *vide* Notification No. F. 9 (21)/94-CC/Plg/15972-79, dated 23-2-2000.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Deputy Director (Plg/Stat.), Planning Department, Govt. of NCT of Delhi

Name of Post	No. of post	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or non-selection post	Whether benefits of added years of service admissible	Age limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Director (plg/stat.)	17* *(2008) subject to variation dependent on work load **Under Column 1:** 1. Planning - 2. Dte. of Economics & Statistics - 3. Dte. for Welfare of SC/ST - 4. Transport - 5. DHS - 6. Election - 7. Urban Development - 8. Health & Family Welfare - 9. Dte. of Education - 10. Development - 11. Social Welfare -	GCS Group "A" Gazetted non-Ministerial	10000-325-15200	Selection 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17	No	Not exceeding 40 years Relaxble for Government servents upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note** : the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K.

Educational & other Qualification required for Direct Recruits	Whether age & EQ prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation if any	Method of rectt. Whether by Direct Rectt. or by Promotion or by Deputation/Absorption & per cent of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: (i) Post Graduate degree in Statistics/Operational Research/ Mathematical Statistics/Applied Statistics or Post Graduate degree in Economics/Mathematics/ Commerce (with statistics as one of the subjects/papers at degree level) of a recognized University or equivalent, and (ii) Five years experience of Statistical/Planning work investigation/Research in a recognized Institute or Department. **Note1:** Qualifications are Relaxable at the discretion of the	Age-No EQ- yes	1 Year for Direct recruits	(i) 75% by promotion falling which by Deputation (ISTC). (ii) 25% by Direct Recruitment

(8)
UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are Relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** (i) Doctorate Degree in any one of the subjects mentioned in EQ (i) from a recognised University or equivalent. (ii) Acquaintance with modern development in the field of Statistics, Economics, planning and allied subjects.

In case of rectt. by Promotion/ Deputation/ Absorption grades from which Promotion/ Deputation/Absorption to be made	If a DPC exists what is its Composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
(12)	(13)	(14)
Promotion : Asstt. Director (Plg/Stat.) in the pay scale of Rs. 8000-13500/- with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (including short-term contract)** Officers under the Central/State Govts./ Union Territories/ Universities/recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi Government/	**Group 'A' DPC (for considering Promotion)** 1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi. -Chairman 2. Principal Secretary (Plg.)/ Secretary (Plg.) in the Govt. of NCT of Delhi - Member 3. Head of Departmant concerned unless he is ex officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi - Member 4. An Officer belonging to SC/ST not below the rank of Joint Secretary in Govt. of NCT of Delhi - Member **Group 'A' DPC (for confirmation)** 1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi. -Chairman 2. Principal Secretary (Plg.)/ Secretary (Plg.)in the Govt. of NCT of Delhi - Member 3. Head of Departmant concerned unless he is ex officio Secretary in Govt. of NCT of Delhi - Member	Consultation with UPSC is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (ISTC).

(12)

Statutory or Autonomous Organizations

(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or

(ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent Cadre/ Department; or

(iii) With eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/ Department; and

(b) possessing the Educational Qualifications and Experience prescribed for Direct Recruits under Col. 8.

(The Departmental officers in the feeder category who are in the Direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion)

[Period of Deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) in another Ex Cadre Post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.]

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
L. N. MEENA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.